

ज्ञापांक- 213/359049 / पी0-2

16-01-03-2017

पुलिस महानिदेशक का कार्यालय, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक- 09/03/2018

सेवा में,

सभी पुलिस उप-महानिरीक्षक, (रेल/इकाई सहित)
बिहार।

प्रसंग :- गृह विभाग (आरक्षी शाखा), द्वारा निर्गत अधिसूचना सह पठित
ज्ञापांक-6838 दिनांक-23.08.2017 तथा 1970 दिनांक-08.03.2018.

विषय :- आशु सहायक अवर निरीक्षक के पद पर सीधी नियुक्ति हेतु सामान्य
अभ्यर्थियों पर चिकित्सीय परीक्षण के संबंध में लागू कतिपय प्रावधान
दिव्यांग अभ्यर्थियों पर लागू नहीं होने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि गृह विभाग (आरक्षी शाखा)
द्वारा अधिसूचित बिहार पुलिस आशु संवर्ग (संशोधन) नियमावली 2018 के अनुसार आशु
सहायक अवर निरीक्षक के पद पर सीधी नियुक्ति हेतु सामान्य अभ्यर्थियों पर चिकित्सीय परीक्षण
के संबंध में कतिपय लागू प्रावधान दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में अन्तर्विष्ट प्रावधानों
को ध्यान में रखते हुए दिव्यांग अभ्यर्थियों पर लागू नहीं होंगे।

सुलभ संदर्भ हेतु बिहार पुलिस आशु संवर्ग नियमावली 2017 सह पठित
ज्ञापांक-6838 दिनांक-23.08.2017 तथा बिहार पुलिस आशु संवर्ग (संशोधन) नियमावली 2018
सह पठित ज्ञापांक-1970 दिनांक- 08/03/18 की छायाप्रति उपलब्ध कराई जाती है।

अनु0-यथोपरि।


9.3.18

पुलिस महानिरीक्षक (मुख्यालय),
बिहार, पटना।

प्रतिलिपि :-

1. सभी पुलिस महानिदेशक, बिहार को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
2. सभी अपर पुलिस महानिदेशक, बिहार को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
3. सभी पुलिस महानिरीक्षक, बिहार को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
4. सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/सभी पुलिस अधीक्षक(रेल/इकाई सहित)/सभी समादेष्टा, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

C.No - 73678/2018

बिहार सरकार
गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

अधिसूचना

संख्या-4/ब1-10-05/2011.....1970/बिहार पुलिस अधिनियम, 2007 की धारा-55 एवं 97 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल, बिहार पुलिस आशु संवर्ग नियमावली, 2017 में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ। (1) यह नियमावली 'बिहार पुलिस आशु संवर्ग (संशोधन) नियमावली, 2018' कही जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह तुरंत के प्रभाव से प्रवृत्त होगी।

2. बिहार पुलिस आशु संवर्ग नियमावली, 2017 (अधिसूचना संख्या-6838 दिनांक-23.08.2017) के नियम-7 के उप नियम (2) में संशोधन। - नियम-7 के उप नियम (2) की टिप्पणी-2 के बाद निम्नलिखित टिप्पणी-3 जोड़ी जाएगी -

"टिप्पणी-3. सामान्य अभ्यर्थियों पर चिकित्सकीय परीक्षण के संबंध में ऊपर उल्लिखित लागू प्रावधान दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 में अंतर्विष्ट प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए दिव्यांग अभ्यर्थियों पर लागू नहीं होंगे।"

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(रंजन कुमार सिन्हा)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक-4/ब1-10-05/2011.....1970/पटना, दिनांक 8/3, 2018

प्रतिलिपि:-अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना-7/प्रभारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि नियमावली की 100 (एक सौ) मुद्रित प्रतियाँ गृह विभाग को शीघ्र उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक-4/ब1-10-05/2011.....1970/पटना, दिनांक 8/3, 2018

प्रतिलिपि:-महालेखाकार, बिहार, पटना/पुलिस महानिदेशक, बिहार/अध्यक्ष, बिहार लोक सेवा आयोग/अध्यक्ष, बिहार कर्मचारी चयन आयोग/अध्यक्ष, केन्द्रीय चयन पर्वद (सिपाही भर्ती)/अध्यक्ष, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग/आई0टी0 मैनेजर, गृह विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवयक क्रियार्थ प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

P-2
M
8.3.18

8/3.18

बिहार सरकार
गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

अधिसूचना

पटना, दिनांक

संख्या-4/ब1-10-05/2011,गृ0आ0 _____/भारत संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक साथ पठित बिहार पुलिस अधिनियम 2007 के धारा 55 एवं 97 तथा पुलिस अधिनियम, 1861 के धारा-46 के उप धारा (2) एवं (3) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये बिहार के राज्यपाल (बिहार पुलिस अधिनियम 1978 समय-समय पर यथासंशोधित) का संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ:- (1) यह नियमावली बिहार पुलिस आशु संवर्ग नियमावली, 2017 कहो जायेगा।
 - (2) यह सम्पूर्ण बिहार राज्य में लागू होगी।
 - (3) यह तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त होगी।
2. परिभाषा:- इस नियमावली में, जब तक किसी संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,
 - (i) "सरकार" से अभिप्रेत है बिहार सरकार;
 - (ii) "विभाग" से अभिप्रेत है गृह विभाग (आरक्षी शाखा);
 - (iii) "आयोग" से अभिप्रेत है बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग;
 - (iv) "संवर्ग नियंत्री प्राधिकार" से अभिप्रेत है पुलिस महानिदेशक, बिहार;
 - (v) "नियुक्ति प्राधिकार" से अभिप्रेत है पुलिस उप-महानिरीक्षक स्तर के पदाधिकारी;
 - (vi) "संवर्ग" से अभिप्रेत है बिहार पुलिस आशु संवर्ग।
3. संवर्ग का गठन - इस संदर्भ में निम्नलिखित पद होंगे -
 - (i) आशु उपाधीक्षक
 - (ii) आशु निरीक्षक
 - (iii) आशु अवर निरीक्षक
 - (iv) आशु सहायक अवर निरीक्षक
4. संवर्ग बल I- (1) संवर्ग का बल वर्तमान बल के अनुसार होगा, परन्तु आवश्यकतानुसार समय-समय पर, राज्य सरकार द्वारा पद सृजन अथवा पद समाप्ति के अधीन रहते हुए सेवा बल तदनुसार पुनरीक्षित समझा जायेगा।
 - (2) इस संवर्ग के सभी कर्मी वर्दी पहनेंगे, लेकिन पुलिस अधिकारियों की शक्ति का उपयोग नहीं करेंगे एवं सामान्य पुलिस संवर्ग में इनका समायोजन नहीं होगा।
 - (3) नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि के पूर्व से कार्यरत आशु सहायक अवर निरीक्षक एवं आशु अवर निरीक्षक इस संवर्ग के सदस्य समझे जाएंगे। सामान्य पुलिस बल में समायोजित अ0नि0/स0अ0नि0 आशु संवर्ग में प्रत्यावर्तित नहीं होंगे। आशु संवर्ग में नियुक्ति का मूल पद केवल आशु स0अ0नि0 होगा।
5. संवर्ग में भर्ती/अर्हता:- (1) जुलाई में पुलिस महानिदेशक, बिहार, आशु सहायक अवर निरीक्षकों के रिक्त पदों की संख्या की आरक्षण कोटिवार गणना कराएंगे।
 - (2) सीमित प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा आशु सहायक अवर निरीक्षक के पद पर नियुक्ति संबंधी प्रावधान एतद् द्वारा विलोपित किए जाते हैं।

- (3) सीधा भर्ती द्वारा आशु सहायक अवर निरीक्षक के भरे जाने वाले पदों पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों का चयन बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग अधिनियम, 2016 (बिहार अधिनियम 5, 2016) के अधीन गठित बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा संयुक्त/पृथक प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। पुलिस मुख्यालय द्वारा आयोग को विहित निर्देशन प्रपत्र (प्रोफार्मा) में एक अध्यक्षता भेजी जाएगी, जिसमें आरक्षण कोटिवार रिक्त पदों की संख्या उल्लिखित होगी। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग प्रश्न पत्र नियत लिखित परीक्षा का संचालन, उत्तर पुस्तिकाओं की जांच करने हेतु परीक्षकों की नियुक्ति करेगा एवं सफल अभ्यर्थियों की अनुसूचा करेगा।
- (4) पुलिस महानिदेशक, बिहार से प्राप्त अध्यक्षता के अनुसार बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग रिक्तियों को व्यापक रूप से परिचारित होने वाले समाचार पत्रों एवं वेबसाइट (website) के माध्यम से विज्ञापित कराएगा। अभ्यर्थियों की विज्ञापन में विद्ये गये विदेशों एवं शहरों का पालन करना होगा। अभ्यर्थियों से परीक्षा फीस, जो आयोग द्वारा नियत किया जाय, लिया जाएगा।
- (5) अभ्यर्थी अपना आवेदन विहित प्रपत्र में, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा प्रकाशित किये जाने वाले विज्ञापन में अंतर्विष्ट निर्बंधनों और शर्तों के अनुसार, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के वेबसाइट पर ऑनलाईन सम्पन्न करेगा।
- (6) बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग सभी अभ्यर्थियों के लिए लिखित प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करेगा। लिखित परीक्षा दो चरणों में होगी यथा- प्रारम्भिक एवं मुख्य परीक्षा। लिखित परीक्षा के सभी पत्र बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित होंगे। प्रथम चरण में प्रारम्भिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। प्रारम्भिक परीक्षा में 100 अंकों का एक पत्र होगा जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या-100 होगी एवं परीक्षा की अवधि डेढ़ घंटे की होगी। इसमें 30 अंक से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए अनुपलब्ध घोषित किए जाएंगे। उक्त पत्र में सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मुद्दों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रारम्भिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्तियों के 20 गुणा सफल अभ्यर्थियों का चयन आरक्षण कोटिवार किया जाएगा। मुख्य लिखित परीक्षा हेतु अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में अनुपलब्धता की दशा में, आयोग उक्त अनुपात में उपयुक्त रूप से कमी कर सकेगा।
- (7) प्रथम चरण में आयोजित प्रारम्भिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जायेगा। मुख्य परीक्षा में दो पत्र होंगे। प्रथम पत्र 100 अंकों का सामान्य हिन्दी का होगा जिसमें 100 प्रश्न होंगे एवं न्यूनतम अर्हतांक 30 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा अन्यथा उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। सामान्य हिन्दी पत्र के लिए परीक्षा की अवधि डेढ़ घंटे की होगी। सामान्य हिन्दी पत्र का प्रस्ताविक मेष के अवधारण में नहीं जोड़ा जायेगा। द्वितीय पत्र सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित एवं मानसिक योग्यता जांच से संबंधित होगा। द्वितीय पत्र का पूर्णांक 100 होगा जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या-100 होगी एवं परीक्षा की अवधि डेढ़ घंटे की होगी। दोनों चरणों की परीक्षा में प्रत्येक एक गलत उत्तर के लिए 0.2 अंक काटा जाएगा। उत्तर पुस्तिका के पत्रियों में होगी जिसकी एक प्रति आयोग के पास सुरक्षित रखी जाएगी।
- (8) पात्रता की जाँच- आशु म0अ0नि0 के पद पर नियुक्ति हेतु श्रुतिलेखन, हिन्दी और अंग्रेजी के टंकण की जानकारी होना आवश्यक है। निम्न परीक्षा की जाएगी :-
 (क) हिन्दी श्रुतिलेखन की जाँच 50 शब्द प्रति मिनट की गति से 5 मिनट तक लेखन द्वारा की जाएगी। उसे टंकित करने हेतु 20 मिनट का और समय दिया जाएगा। अभ्यर्थियों

को टंकण आरंभ करने के पूर्व 2 मिनट का अतिरिक्त समय शुद्धि हेतु दिया जाएगा। श्रुतिलेख के टंकण की शुद्धि निर्धारित समय के अंतर्गत करनी होगी। श्रुतिलेख के टंकण में उत्तीर्ण होने के लिये 10 प्रतिशत से अधिक गलतियाँ नहीं होनी चाहिए अन्यथा उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

(ख) टंकण जाँच - उम्मीदवारों को हिन्दी एवं अंग्रेजी में न्यूनतम 30(तीस) शब्द प्रति मिनट की गति से 300 शब्दों को 10-10 मिनट में कम्प्यूटर पर टंकित करना होगा। इसमें उत्तीर्ण होने के लिए हिन्दी टंकण में पाँच प्रतिशत से अधिक और अंग्रेजी टंकण में दस प्रतिशत से अधिक गलतियाँ नहीं होनी चाहिए अन्यथा उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। निर्धारित 10 मिनट के समय में न्यूनतम 300 शब्दों से कम टंकित करने वाले उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

(ग) कम्प्यूटर ज्ञान की जाँच - उम्मीदवार के MS-Office (Word, Excel, Power Point) तथा Internet के व्यावहारिक ज्ञान की जाँच की जायेगी। इस जाँच में अयोग्य उम्मीदवार को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

6. मेधा सूची का निर्माण- (1) अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों की मेधा सूची, मुख्य लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर, आरक्षण कोटिवार तैयार की जाएगी।
- (2) लिखित परीक्षा में दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक प्राप्त करने की दशा में मेधा सूची में उनके स्थान का अवधारण उनकी जन्म तिथि के आधार पर किया जाएगा अर्थात् उम्र में वर्गीय अभ्यर्थी मेधा क्रम में ऊपर रहेंगे। समान अंक प्राप्त करने एवं समान जन्म तिथि वाले दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों की दशा में मेधा सूची में उनके स्थान का निर्धारण उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर अवधारित किया जाएगा अर्थात् तुलनात्मक दृष्टिकोण से अधिक शैक्षणिक योग्यताधारी अभ्यर्थी मेधा क्रम में ऊपर रहेंगे। इसके बावजूद यदि एक से अधिक अभ्यर्थी समान प्राप्तांक एवं समान जन्मतिथि वाले हों, तो ऐसे अभ्यर्थियों की वर्गीयता उनके दसवीं बोर्ड के प्रमाण पत्र में यथा उल्लिखित नाम के अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार अवधारित की जाएगी।
- (3) अंतिम मेधा सूची हेतु अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति एवं महिला अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम अर्हतांक 32%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5% एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अर्हतांक 34% तथा सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अर्हतांक 40% होगा।
- (4) बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की मेधा के आधार पर घटते क्रम में सूची तैयार करेगा और पुलिस महानिदेशक से प्राप्त अभ्यवेक्षा के अनुसार आरक्षण कोटिवार एवं मेधा अंकों के घटते क्रम में नामों की अनुशंसा करेगा।
7. चिकित्सीय जाँच, चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन- (1) आशु सहायक अवर निरीक्षक के पद पर नियुक्ति से पूर्व बिहार पुलिस हस्तक, 1978 के फॉर्म सं0-103 के अनुसार चिकित्सीय जाँच एवं फॉर्म सं0-101 के अनुसार चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन कराया जाएगा। प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने एवं/अथवा अभ्यर्थियों द्वारा तथ्यों को छुपाए जाने की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए अयोग्य घोषित किए जाएंगे।
- (2) बिहार पुलिस हस्तक, नियम 658 (iv) में किए गए प्रावधान के अनुसार अभ्यर्थी को ऐंसे रोग, गठन विकार या दैहिक दुर्बलता से मुक्त होना चाहिए जिसके चलते वह कर्तव्यों के लिए अयोग्य हो या हो सकता हो।
- टिप्पणी-1: नियुक्ति के पूर्व सभी चयनित अभ्यर्थियों का चिकित्सकीय परीक्षण कराया जायेगा। दृष्टि श्रेय, कलर ब्लाइन्डनेस, श्रवण शक्ति, हफ्ताहट, फ्लैट-फुट एवं नोकिंग-नी आदि की जाँच की

जायेगी। नियुक्ति के लिए चयनित अभ्यर्थियों का चिकित्सकीय परीक्षण में योग्य पाया जाना अनिवार्य होगा।

टिप्पणी-2. हकलाना या तुतलाना जैसी बृद्धि अभ्यर्थी को चुनाव के लिए अपात्र कर देगी।

8. **शैक्षणिक अर्हताएँ** - (1) आशु स0अ0नि0 के मूल पद पर भर्ती हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इण्टरमीडिएट (10-2) परीक्षा या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा।
(2) अभ्यर्थी को कम्प्यूटर संचालन में सरकार में मान्यता प्राप्त संस्थान से डिप्लोमा प्रमाण पर ध्यान देना अनिवार्य होगा।
9. **उम्र** - आशु सहायक अवर निरीक्षक की उम्र का मापदंड वही होगा जो स्थापितियों की नियुक्ति के लिए अवधारित हो।
10. **आरक्षण** - संवर्ग के पद पर नियुक्ति एवं प्रोन्नति हेतु आरक्षण संबंधी, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथा अवधारित प्रावधान, लागू होंगे।
11. **प्रशिक्षण** - (1) आशु स0अ0नि0 का बुनियादी प्रशिक्षण 180 कार्यदिवसों का होगा। प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम पुलिस महानिदेशक (प्रशिक्षण) द्वारा पुलिस महानिदेशक, बिहार के अनुमोदन में अवधारित किया जाएगा।
(2) आशु स0अ0नि0 से आशु अ0नि0 के पद पर प्रोन्नति हेतु प्रशिक्षण 03 माह का होगा। विधि विषय सहित इस प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम पुलिस महानिदेशक (प्रशिक्षण) द्वारा पुलिस महानिदेशक, बिहार के अनुमोदन से अवधारित किया जाएगा।
12. **परिवीक्षा अवधि एवं सम्पुष्टि** - (1) नवनियुक्त आशु सहायक अवर निरीक्षक नियुक्ति की तिथि में परिवीक्षा पर रहेंगे। परिवीक्षा की अवधि दो वर्षों की होगी, जिसका विस्तार, सेवा तथा कार्य अनुपालन असंतोषजनक पाए जाने पर एक वर्ष के लिए, किया जा सकेगा। इस प्रकार का विस्तार सेवाकाल में अधिकतम दो बार दिया जा सकेगा। विस्तारित अवधि के पश्चात् भी सेवा संतोषजनक नहीं रहने पर परीक्ष्यमान रूप से नियुक्त आशु सहायक अवर निरीक्षक को सेवामुक्त कर दिया जाएगा।
(2) आशु सहायक अवर निरीक्षक की, परिवीक्षा अवधि संतोषजनक रूप से पूरी होने एवं विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण होने के आधार पर, सेवा में सम्पुष्ट किया जा सकेगा।
13. **विभागीय परीक्षा** - आशु संवर्ग में नवनियुक्त सभी आशु सहायक अवर निरीक्षकों को बिहार सरकार के मंत्रिमंडल सचिवालय (राजभाषा) विभाग द्वारा आयोजित होने वाली हिन्दी टिप्पण एवं प्रारक्षण परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा। उक्त परीक्षा उत्तीर्ण होने पर ही द्वितीय एवं अग्रतर वेतनवृद्धि देय होगी।
14. **वरीयता** - आशु सहायक अवर निरीक्षकों की आपसी राज्य वरीयता की गणना आयोग द्वारा संचालित मुख्य लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों एवं बुनियादी प्रशिक्षण में प्राप्त अंकों के योग के अनुसार विनिश्चित की जाएगी परंतु इस नियमावली के प्रभाव में आने से पूर्व, आशु संवर्ग में कार्यरत कर्मियों की आपसी वरीयता अक्षुण्ण रहेगी।
15. **प्रोन्नति** - (1) इस संवर्ग में सम्पुष्ट कर्मियों की प्रोन्नति की शृंखला निम्नानुसार होगी:
(क) आशु सहायक अवर निरीक्षक से आशु अवर निरीक्षक के पद पर।
(ख) आशु अवर निरीक्षक से आशु निरीक्षक के पद पर।
(ग) आशु निरीक्षक से आशु उपाधीक्षक के पद पर।
(2) प्रोन्नति वरीयता-सह-योग्यता मानदंड के अनुसार देय होगी, जो विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर विचारणीय होगी। प्रोन्नति हेतु योग्यता मानदंड में गोपनीय चरित्र अभियुक्ति, परफ़ोरमेंस रिपोर्ट, वांछित प्रशिक्षण, विभागीय परीक्षा आदि सम्मिलित होगा।
(3) सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) द्वारा, समय-समय पर, विनिश्चित वेतनमान आधारित कालावधि के पूरा करने पर प्रोन्नति पर विचार किया जा सकेगा।

16. **अवशिष्ट मामले**- इस नियमावली या इसके अधीन निर्गत किसी आदेश से जो मामले आच्छादित नहीं होंगे, वैसे मामले बिहार सेवा संहिता/नियमावली/संकल्प/हस्तक जो भी राज्य सरकार में सम्मकक्ष पद के लिए अनुमान्य होगा, द्वारा शासित होंगे।
17. **निर्वचन**- इस नियमावली के किसी प्रावधान के संबंध में यदि, कोई शंका हो तो तत्संबंधी गृह विभाग (आरक्षी शाखा) द्वारा किया गया व्याख्या/निर्वचन, विधि विभाग से परामर्श के पश्चात्, अंतिम होगा।
18. **नियम 1287(क) का विलोपन**- पुलिस हस्तक नियम, 1287 (क) में मात्र सिपाही एवं पुलिस अवर निरीक्षक के पद पर सीधी नियुक्ति का प्रावधान किया गया है, जबकि पुलिस संगठन में अन्य पदों पर भी सीधी नियुक्ति की जाती है अतः उक्त 1287 (क) एतद् द्वारा विलोपित किया जाता है।
19. **निरसन एवं व्यावृत्ति**- आशु स0अ0नि0 के पद पर चयन हेतु परीक्षा एवं नियुक्ति/पदस्थापन के बिन्दु पर बिहार पुलिस हस्तक, 1978 के नियम 749 एवं परिशिष्ट-42 में निहित प्रावधान एवं तत्संबंधी पूर्व से निर्गत आदेश/परिपत्र/निदेश एतद् द्वारा निरसित किये जाते हैं।
ऐसे निरसन के बावजूद भी, इस संबंध में पूर्व में निर्गत संकल्प/नियमावली/आदेश के आलोक में किया गया कुछ भी अथवा की गई कार्रवाई इस नियमावली के अधीन किया गया अथवा की गयी कार्रवाई मानी जाएगी, मानों उक्त तिथि को यह नियमावली लागू थी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(रंजन कुमार सिन्हा)

सरकार के अपर सचिव

संख्या-4/ब1-10-05/2011,गृ0आ0 6838,

पटना, दिनांक 23.05.17

प्रतिलिपि:- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना-7/ प्रभारी ई-गवर्न कोष, विन विभाग, बिहार, पटना को राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि नियमावली की 100(एक सौ) मुद्रित प्रतियां गृह विभाग को शीघ्र भेजी जाय।

संख्या-4/ब1-10-05/2011,गृ0आ0 6838,

पटना, दिनांक 23.05.17

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना/ पुलिस महानिदेशक, बिहार/ अध्यक्ष, बिहार लोक सेवा आयोग/ अध्यक्ष, बिहार कर्मचारी चयन आयोग/ अध्यक्ष, केन्द्रीय चयन पर्यट (सिपाही भर्ती)/ अध्यक्ष, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग/ आई0टी0 मैनेजर, गृह विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव